न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1, जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार गुप्ता–II (आर.जे.एस.)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 433/26

रविन्द्र पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, आयु–26 वर्ष, निवासी प्लॉट नम्बर 142, बालाजी विहार 29, न्यू लोहा मंडी, माचेड़ा, हरमाड़ा, पुलिस थाना हरमाड़ा, जिला जयपुर।
––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक। ––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 438 द.प्र.सं.), प्र.सू.रि.सं.10/24 पुलिस थाना एस.ओ.जी., जयपुर धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109 सपठित धारा 34, 120बी भा.द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधि. 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट

उपस्थित :–
1– श्री आर्यन शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त।
2– श्री मोहन लाल प्रजापत, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य।

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 10–08–26**

1 इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 438 द.प्र.सं.) का निस्तारण किया जा रहा है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 540/2020 में अनुसंधान के दौरान पाया गया कि राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो पूरे राजस्थान में दिनांक 13.09.2021 से 15.09.2021 तक आयोजित की गई, जिसमें जगदीश विश्नोई, यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी व शिवरतन मोट ने स्कूल रविन्द्र बाल भारती के केन्द्राधीक्षक राजेश खण्डेलवाल के साथ मिलकर इस परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लीक करने का आपराधिक षडयंत्र रचा और राजेश खण्डेलवाल ने परीक्षा सम्पादित करने के नाम पर रिकॉर्ड पर यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी की ड्यूटी लगाई। दिनांक 14.09.2021 व 15.09.2021 को योजना के मुताबिक यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी प्रश्नपत्रों के केन्द्र पर प्राप्ति से पूर्व आचार्य ऑफिस में घुसकर छोटी कोटड़ी में छुप गया। प्रश्नपत्रों को आचार्य ऑफिस में रखे जाकर कमरे को सील करने के पश्चात यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी ने पैकेट में चीरा लगाकर पेपर निकालकर मोबाईल फोन से उसकी फोटो ली तथा पेपर को वापिस पैकेट में रखकर टेप से

पैक कर दिया। तत्पश्चात यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी ने जरिये व्हाट्सअप जगदीश विश्नोई के पास उसके मोबाईल फोन पर भेज दिया और जगदीश विश्नोई ने यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी के मार्फत राजेश खण्डेलवाल को दस लाख रूपये दिये। जगदीश विश्नोई ने प्रश्नपत्र को हल करने के पश्चात सॉल्वड पेपर को राजस्थान के विभिन्न भागों में मौजूद अपने साईट हैण्डलर्स के व्हाट्सअप के मास्टर ग्रुप पर एक साथ भेज दिया और परीक्षार्थियों को साईट हैण्डलर्स द्वारा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के नजदीक सॉल्वड पेपर को दिनांक 14.09.2021 व 15.09.2021 को पढ़ाया गया और साईट हैण्डलर्स द्वारा परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ाने के पश्चात परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाया गया। इनके द्वारा पढ़ाये गये अभ्यर्थी 01. नरेश विश्नोई, 02. नारंगी कुमारी विश्नोई, 03. राजेश्वरी, 04. गोपीराम जांगू, 05. श्रवण कुमार विश्नोई, 06. मनोहर विश्नोई, 07. सुरेन्द्र विश्नोई, 08. करणपाल गोदारा, 09. विवेक भाम्बु, 10. एकता कुमारी, 11. रोहिताश्व कुमार व अन्य दर्जनों उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षकगणों में से दर्जनों उप निरीक्षकगण Cheating by impersonation से सफल होने की जानकारी सामने आयी है। इत्यादि.....

3 उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 10/2024 धारा 419, 420, 120बी भा.द.सं. व 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का प्रयोग) अधिनियम 1992 व 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका होने पर प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.) प्रस्तुत किया गया।

4 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए मुख्यतः तर्क दिये हैं कि प्रार्थी को झूठा फंसाया जा रहा है और प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी से दो बार जांच अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे प्रार्थी ने अपने पिता की साहयता से एक अन्य आरोपी राजकुमार यादव से पेपर परीक्षा पूर्व लिया और पढ़कर उत्तीर्ण हुआ। दौराने अनुसंधान केवल धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की राजकुमार यादव की सूचनाएँ प्राप्त की गई हैं तथा कोई सीधी साक्ष्य नहीं है व बरामदगी भी नहीं हुई हैं तथा जो पेपर को तैयार करने से लेकर परीक्षा केन्द्र तक ले जाने प्रक्रिया है, उसे देखते हुए अगर कोई छेड़छाड़ होती तो उसका अविलम्ब पता चल जाता और सह अभियुक्ता प्रियंका गोस्वामी की मान. उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत हो चुकी है। अगर प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया तो प्रार्थी व उसके परिवार की सामाजिक

प्रतिष्ठा धूमिल होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

5 विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

6 सुना गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7 प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना जाहिर किया गया है।

8 तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा से पूर्व अन्य अभियुक्तगण से मिलकर रुपयों के बदले लीक सॉल्वड पेपर पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण कर उप निरीक्षक के पद पर चयनित होने का आरोप है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109 सपठित धारा 34, 120बी भा.द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधि. 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट के अपराध के आरोप में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

9 प्रार्थी ने स्वयं को निर्दोष होना कहा है, इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के विनम्र मत में अन्य आरोपी कुन्दन कुमार पण्ड्या ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा के पेपर सेट प्राप्त किये थे और अन्य अभियुक्त राजकुमार यादव जो कि हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था, उसने आरोपी कुन्दन कुमार पण्ड्या से 5 लाख रुपये में सौदा कर उक्त परीक्षा के लीक प्रश्नोत्तर सेट की फोटो प्रति प्राप्त की और देवेन्द्र कुमार सैनी, जो कि प्रार्थी/अभियुक्त का पिता है, से परीक्षा पूर्व पेपर पढ़ाने के लिये 3 लाख रुपये में सौदा किया तथा अन्य अभियुक्त राजकुमार द्वारा अपने पुत्र भरत यादव को परीक्षा पूर्व पढ़ाये तथा प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार यादव ने अन्य आरोपी सत्येन्द्र सिंह यादव से 6 लाख रुपये में सौदा कर उसे भी पेपर उपलब्ध करवाए।

10 न्यायिक दृष्टांत मध्यप्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा ए.आई.आर. 2014 एससी 626 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि :–

"Power in Sec. 483 Cr.P.C. is extra ordinary and it is to be exercised in exceptional cases. Where it appears that the person may be falsely implicated."

इस प्रकार मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत मध्यप्रदेश

राज्य बनाम प्रदीप शर्मा ए.आई.आर. 2014 एससी 626 में स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 438 द.प्र.सं. (482 बीएनएसएस) के तहत प्रार्थना–पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब प्रकरण आपवादिक परिस्थितियों का हो और प्रलेख पर ऐसी साक्ष्य विद्यमान हों कि अभियुक्त को आरोपित अपराध में बिना किसी उचित आधार के मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया हो। किन्तु अनुसंधान केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकनानुसार प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण से मिलकर परीक्षा पूर्व लीक पेपर के प्रश्न उत्तर पढ़कर परीक्षा देना और उप निरीक्षक के पद पर चयनित होना पाया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र व उसके पिता देवेन्द्र के अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर 10–10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और प्रार्थी की ओर से स्वयं के निर्दोष होने के सम्बन्ध में दिये गये तर्कों पर अग्रिम जमानत के इस स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के कोई अनुकूल/प्रतिकूल टिप्पणी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता तथा इस न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तगण के नियमित जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये गये हैं तथा अन्य अभियुक्ता प्रियंका गोस्वामी का अग्रिम जमानत आवेदन भी इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था।

11 अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक की परीक्षा के लीक पेपर के प्रश्न उत्तर पढ़कर चयनित होने के गम्भीर तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के तथ्यों पर कोई अनुकूल/प्रतिकूल टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

12 परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 438 द.प्र.सं.) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विनोद कुमार गुप्ता–II)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय

13 आदेश आज दिनांक 10–08–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विनोद कुमार गुप्ता–II)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर द्वितीय